

कार्यालय संयुक्त निदेशक उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145
जनपद-उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

पत्रांक : एच0आर0सी0/217

दिनांक : 25/07/2025

नीलामी सूचना

विगत वर्ष की भौति उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा पर चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अमरुद बागों की बिक्री दिनांक 15.07.2025 के अपराह्न 3.00 बजे खुली बोली/निगोसिएशन के माध्यम से नीलामी आयोजित की जायेगी।

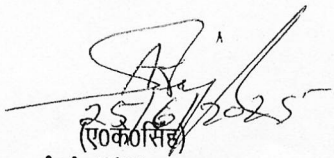
नीलामी की शर्त :-

1. अमरुद बागों के ठेका लेने के इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार दिनांक 15.07.2025 को केन्द्र कार्यालय में प्रातः 9:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक धनराशि रु0 20,000.00(रुपये बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा करते हुये नीलामी में प्रतिभाग कर सकते हैं।
2. ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार अमरुद बागों का भली-भाँति निरीक्षण कर लें, बागों की बिक्री के पश्चात् किसी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. उच्चतम बोलीदाता द्वारा धरोहर धनराशि के रूप में जमा किया गया रु0 20,000.00 के बैंक ड्राफ्ट/नकद धनराशि को छोड़कर अन्य बोलीदाता द्वारा जमा किये गये बैंक ड्राफ्ट/नकद धनराशि को बोली समाप्ति के पश्चात् लौटा दिया जायेगा।
4. सफल बोलीदाता को बोली की समस्त धनराशि अपने खाते के माध्यम से ही भुगतान करनी होगी, किसी अन्य के खाते से भुगतान की गई धनराशि मान्य नहीं होगी।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त ठेकेदार को विश्वविद्यालय में अपना पार्टी/वेन्डर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
6. उच्चतम बोलीदाता द्वारा उच्चतम बोली गयी धनराशि का 40 प्रतिशत अग्रिम के रूप में नीलामी समाप्ति के पश्चात् जमा करना होगा। इस धनराशि में नीलामी में भाग लेने हेतु जमा की गयी धरोहर धनराशि रु0 20,000.00 को समायोजित नहीं किया जायेगा। यदि उच्चतम बोलीदाता 40 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता है, तो नीलामी में भाग लेने हेतु जमा की गयी धरोहर धनराशि रु0 20,000.00 को जब्त कर लिया जायेगा एवं ठेका निरस्त करने से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
7. सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त ठेकेदार को उक्त की सूचना डाक द्वारा दी जायेगी। सूचना जारी होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व, जो भी पहले हो, उच्चतम बोली गयी धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि (द्वितीय किस्त) जमा करनी होगी। इस धनराशि में पूर्व में जमा की गयी धरोहर धनराशि रु0 20,000.00 को समायोजित नहीं किया जायेगा। यदि ठेकेदार निश्चित दिनांक तक 40 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करता है तो वह 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह विलम्ब शुल्क के साथ अगले एक माह तक धनराशि जमा कर सकता है। यदि फिर भी ठेकेदार 40 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करता है, तो ठेका निरस्त करने से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही की जायेगी तथा ठेकेदार द्वारा पूर्व में जमा की गयी धनराशि (रु0 20000+40 प्रतिशत धनराशि) को जब्त कर लिया जायेगा।
8. उच्चतम बोलीदाता को फल तुड़ाई से पूर्व उच्चतम बोली गयी धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रूप में अलग से जमा करनी होगी। ठेका समाप्ति पर नियमानुसार उक्त धनराशि ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी।
9. ठेकेदार को तृतीय किस्त/अंतिम किस्त 20 प्रतिशत धनराशि फल तोड़ने से पहले जमा करनी होगी। तृतीय किस्त/अंतिम किस्त में ठेकेदार द्वारा पूर्व में जमा की गयी धरोहर धनराशि रु0 20,000.00 को समायोजित कर लिया जायेगा।
10. बोलीदाता को उच्चतम बोली धनराशि की सभी किस्तों का भुगतान आर0टी0जी0एस0/ड्राफ्ट/बैंकर चेक के माध्यम से विश्वविद्यालय के खाते में जमा करना होगा। नकद भुगतान किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
11. समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी एक अथवा समस्त बोलियों को बिना कारण बताए निरस्त कर सकती है।

12. शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु ठेकेदार को फलों की निम्नलिखित मात्रा बिना किसी कीमत के केंद्र को देनी होगी। यदि ठेकेदार द्वारा शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु फलों की पूरी मात्रा केन्द्र को नहीं दी जाती है तो शेष मात्रा की भरपाई हेतु नकद धनराशि केन्द्र कार्यालय में जमा करनी होगी।

लाट सं०	फल बाग का नाम	प्रक्षेत्र संख्या	क्षेत्रफल/बाग का विवरण	शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु	शोध कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी अतिथि या अधिकारी द्वारा केंद्र के भ्रमण के समय वृक्ष से फल तोड़ने पर ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी।
लाट सं०-1	अमरुद बाग	4बी	• अमरुद: कुल 792 वृक्ष (102 वृक्ष, आयु लगभग 11-13 वर्ष, 610 वृक्ष, आयु लगभग 06-07 वर्ष तथा 80 वृक्ष, आयु लगभग 04-06 वर्ष)	अमरुद फल 400 कि०ग्रा०	100 फल
लाट सं०-2	अमरुद बाग	6बी, 6सी, 12बी	• अमरुद: कुल 383 वृक्ष, आयु लगभग 09 वर्ष	अमरुद फल 300 कि०ग्रा०	100 फल
लाट सं०-3	अमरुद बाग	96 नं०	• अमरुद: कुल 791 वृक्ष (491 वृक्ष, आयु लगभग 08 वर्ष तथा 300 वृक्ष आयु लगभग 05-07 वर्ष)	अमरुद फल 200 कि०ग्रा०	100 फल

13. ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रू० 100/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध करना होगा। इस अनुबन्ध प्रक्रिया को बाग का कब्जा लेने की दिनांक से 15 दिन के अन्दर पूर्ण करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
14. अनुसंधान वाले पेड़ों/बागों की तुड़ाई परियोजनाधिकारी/वैज्ञानिक की उपस्थिति में की जायेगी तथा ऐसे वृक्षों को चिन्हित करके ठेकेदार को अवगत करा दिया जायेगा। अगर ठेकेदार अनुसंधान वाले पेड़ों की तुड़ाई बिना पूर्व सूचना या सम्बन्धित वैज्ञानिक की अनुपस्थिति में करता है तो ठेकेदार से उचित जुर्माना लिया जा सकता है। ठेकेदार से परीक्षणों की क्षतिपूर्ति के लिए फल परियोजना समन्वयक/वैज्ञानिक/परियोजनाधिकारी की संस्तुति को आधार मानकर क्षतिपूर्ति करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र को होगा।
15. बिक्री की गयी फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को केंद्र की अन्य फसलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि केन्द्र/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है, तो सम्बन्धित ठेकेदार से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।
16. उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर उपलब्ध सिंचाई साधनों के माध्यम से शोध के अन्तर्गत बागों में सिंचाई की जाती है। शोध प्लाटों के अतिरिक्त सिंचाई से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता होने पर ठेकेदार द्वारा स्वयं सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। उक्त सिंचाई हेतु ठेकेदारों को बिजली का मीटर कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।
17. ठेकेदार को बाग की सफाई, फसल सुरक्षा, रोग, कीड़ों से बचाव तथा फलों की तुड़ाई, ढुलाई आदि कार्य स्वयं करने होंगे। ठेकेदारों को बागों में रसायन (फफूँदीनाशक, कीटनाशी आदि) के प्रयोग से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
18. ठेकेदारों को उक्त सभी शर्तों का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि ठेकेदार नियमों/शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
19. ठेकेदार को अपना तथा बाग में कार्य करने वाले कर्मियों का चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस द्वारा दिया गया हो बाग का कब्जा लेने से पूर्व केंद्र कार्यालय में जमा करना होगा।
20. ठेकेदार अथवा उसके कर्मियों द्वारा केन्द्र या विश्वविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति आदि को क्षति पहुँचाने की दशा में क्षतिपूर्ति का दायित्व ठेकेदार के स्वयं का होगा।
21. ठेकेदार द्वारा फल ही तोड़े जायेंगे, पेड़ों की टहनियों को नहीं तोड़ा जायेगा यदि क्षति पहुँचाने की दशा में क्षतिपूर्ति का दायित्व ठेकेदार के स्वयं का होगा।
22. ठेके से सम्बन्धित किसी भी विवाद में माननीय कुलपति जी अथवा उनके नामित द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
23. अमरुद बागों के ठेके की अवधि दिनांक 31.03.2026 तक होगी।


 25/6/2025
 (ए०के०सिद्ध)
Joint Director
H.R.C. Patharchatta



(±)Maximize

Routing Channel- JOINT DIRECTOR > DIRECTOR RESEARCH > COMPTROLLER > V.C.

Proposal Title- अमरूद बागों की नीलामी खुली बोली/निगोसिएशन के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।

Details of Proposal,

विगत वर्षों की भाँति उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर अमरूद के बागों की बिक्री खुली बोली के माध्यम से वर्ष 2025-26 (01 फलत वर्ष) हेतु करायी जानी है। अमरूद बागों की बिक्री हेतु दिनांक 15.07.2025 को प्रातः 9:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक ₹0 20,000.00 (रुपये बीस हजार मात्र) की धरोहर धनराशि केंद्र कार्यालय में जमा कराते हुये दिनांक 15.07.2025 के अपराह्न 3:00 बजे खुली बोली/निगोसिएशन के माध्यम से गठित समिति के समक्ष नीलामी सम्पादित कराया जाना प्रस्तावित है।

लाट सं०.	प्रक्षेत्र संख्या	अमरूद बाग का विवरण
लाट सं०. 1	4बी	अमरूद: कुल 792 वृक्ष (102 वृक्ष, आयु लगभग 11-13 वर्ष, 610 वृक्ष, आयु लगभग 06-07 वर्ष तथा 80 वृक्ष, आयु लगभग 04-06 वर्ष)
लाट सं०. 2	6बी, 6सी, 12बी	अमरूद: कुल 383 वृक्ष, आयु लगभग 09 वर्ष
लाट सं०. 3	96 नं०	अमरूद: कुल 791 वृक्ष (491 वृक्ष, आयु लगभग 08 वर्ष तथा 300 वृक्ष आयु लगभग 05-07 वर्ष)

अतः अनुरोध है कि अमरूद बागों की बिक्री हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्वीकृति प्रदान करना चाहें।

1. अमरूद बागों की नीलामी खुली बोली के माध्यम से कराये जाने हेतु निम्नलिखित समिति के गठन एवं गठित समिति द्वारा अमरूद बागों की बिक्री हेतु आवश्यक संस्तुति किये जाने की स्वीकृति।

- | | |
|--|--------------|
| 1. निदेशक शोध/नामित | अध्यक्ष |
| 2. विभागाध्यक्ष, उद्यान विज्ञान विभाग/नामित | सदस्य |
| 3. नियंत्रक/नामित | सदस्य |
| 4. भण्डार क्रय अधिकारी/नामित | सदस्य |
| 5. निदेशक विधि/नामित | सदस्य |
| 6. संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा | सदस्य/संयोजक |

2. अपलोड किये गये रक्षित शर्तों (F14) के अधीन दिनांक 15.07.2025 को अपराह्न 3:00 बजे खुली बोली/ निगोसिएशन के माध्यम से उपरोक्त अमरूद बागों की नीलामी किये जाने की स्वीकृति।

3. दिनांक 15.07.2025 को अमरूद बागों की नीलामी में अमरूद विशेषज्ञ द्वारा दिये गये अनुमानित आंकलन से कम धनराशि प्राप्त होने एवं किसी कारणवश दिनांक 15.07.2025 को नीलामी स्थगित होने की दशा में अमरूद बागों को पुनः दिनांक 22.07.2025 को अपराह्न 3:00 बजे खुली बोली/निगोसिएशन के माध्यम से उक्त शर्तों के अधीन ही नीलाम किये जाने की स्वीकृति।

4. यदि उपरोक्त दोनों तिथियों में किसी कारणवश बागों की बिक्री न होने की दशा में नई तिथि लेने हेतु निदेशक शोध को नामित करने की स्वीकृति।

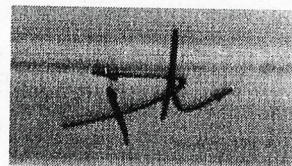
5. विभागाध्यक्ष, उद्यान विज्ञान विभाग द्वारा नामित फल वैज्ञानिक/वैज्ञानिक दल द्वारा विभागीय आंकलन प्राप्त करने की स्वीकृति।

209

6. अमरूद बागों की नीलामी के प्रचार-प्रसार हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कराने, संज्ञानित ठेकेदारों को डाक/मोबाईल व्हाट्सएप से सूचना दिये जाने, इसकी सूचना नोटिस बोर्ड में चस्पा किये जाने एवं दैनिक समाचार पत्र में एक बार विज्ञापन प्रकाशित कराये जाने की स्वीकृति। विज्ञापन प्रकाशित कराने में आने वाले अनुमानित व्यय धनराशि रु. 10,000.00 की स्वीकृति, जिसका व्यय केंद्र के चक्रिय निधि कोड-653 से वहन किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दु सं0 01 से 06 पर स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

प्रस्ताव संज्ञानार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रेषित।



PANKAJ SINGH BISHT
(Initiator)

Assistant Accountant

Verified

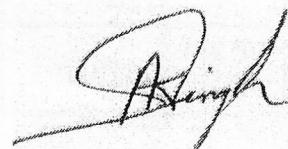
Through Profile Password

Jun 24 2025 3:38:39:750PM

Routing Channel- JOINT DIRECTOR > DIRECTOR RESEARCH > COMPTROLLER > V.C.

Note # 1

Recommended and forwarded for needful.



ASHOK KUMAR SINGH
(JOINT DIRECTOR)

Verified

Through Profile Password

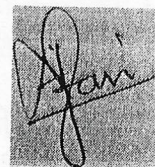
Jun 25 2025 11:38:46:360AM

Action: Forward

Routing Channel- JOINT DIRECTOR > DIRECTOR RESEARCH > COMPTROLLER > V.C.

Note # 2

For necessary action



DIRECTOR RESEARCH
(DIRECTOR RESEARCH)

Verified

Through Profile Password

Jun 25 2025 6:06:56:380PM

Action: Forward

Routing Channel- JOINT DIRECTOR > DIRECTOR RESEARCH > COMPTROLLER > V.C.

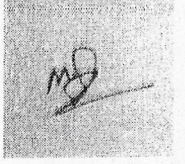
Note # 3

कृपया संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा के प्रस्ताव का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा पर अमरूद बाग की बिक्री खुली बोली/निगोसिएशन के माध्यम से वर्ष 2025-26 (01 फलत् वर्ष) हेतु दिनांक 15.07.2025 को खुली बोली/निगोसिएशन के माध्यम से नीलामी कराए जाने हेतु विषयक है।

बिक्री उपरान्त प्राप्त जी०एस०टी० की राशि (यदि हो) स्कॉल सहित समयनुसार नियंत्रक कार्यालय में जमा कराए जाने की जिम्मेदारी संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार के अर्थदण्ड से बचा जा सके।

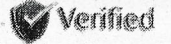
अतः संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा के उपर्युक्त प्रस्तावनुसार बिन्दु संख्या 01 से 06 तक पर पत्रावली संस्तुति सहित अग्रिम कार्यावाही किए जाने हेतु नियंत्रक कार्यालय को अग्रसारित करना चाहे।

Sanction details is entered in DES, RF register on page No.71/47.



Jun 27 2025 11:26:40:993AM
Action:Forward

MOHD SHAHNAWAZ AHAMAD
(AssistantAccountant)



Through Profile Password

Routing Channel- JOINT DIRECTOR > DIRECTOR RESEARCH > COMPTROLLER > V.C.

Note # 4

May please like to forward to Comptroller.



Jun 27 2025 4:47:28:713PM
Action:Forward

RAJEEV GUPTA
(Asstt.AccountsOfficer)

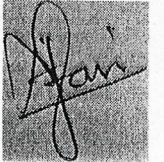


Through Profile Password

Routing Channel- JOINT DIRECTOR > DIRECTOR RESEARCH > COMPTROLLER > V.C.

Note # 5

Recommended and forwarded.



Jun 28 2025 6:43:19:040AM
Action:Forward

DIRECTOR RESEARCH
(DIRECTOR RESEARCH)



Through Profile Password

Routing Channel- JOINT DIRECTOR > DIRECTOR RESEARCH > COMPTROLLER > V.C.

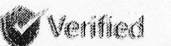
Note # 6

Forwarded.

Transferred by PA

Jun 28 2025 10:56:39:490AM
Action:Forward

ABHA GARKHAL BOHRA
(COMPTROLLER)



Through Profile Password

Routing Channel- JOINT DIRECTOR > DIRECTOR RESEARCH > COMPTROLLER > V.C.

Note # 7

Forwarded.

Jun 30 2025 11:21:06:870AM

Action:Forward

RAM SINGH
(Asstt.AccountsOfficer)



Through Profile Password

Routing Channel- JOINT DIRECTOR > DIRECTOR RESEARCH > COMPTROLLER > V.C.

Note # 8

सहा0लेखाधिकारी/नियंत्रक/कुलपति जी

कृपया निदेशक, शोध के उपरोक्त प्रस्ताव का अवलोकन करना चाहें। जिसमें उद्यान अनुसंधान केन्द्र पत्थरचट्टा द्वारा उपरोक्त तालिका में वर्णित लाट संख्या 01 (प्रक्षेत्र संख्या 4बी), 02(प्रक्षेत्र संख्या 6बी, 6सी, 12बी) एवं 03 (96न0) को वर्ष 2025-26 (01 फलत वर्ष) हेतु खुली बोली/निगोसिएशन के माध्यम से विक्रय किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति चाही गयी है। बागों के नीलामी की शर्त ओ.डी-14 पर रक्षित है।

विभागीय प्रस्ताव में बोली/निगोसिएशन के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले बागों का विवरण निम्नवत् प्रस्तुत किया गया है:-

लाट सं०.	प्रक्षेत्र संख्या	अमरुद बाग का विवरण
लाट सं०. 1	4बी	अमरुद: कुल 792 वृक्ष (102 वृक्ष, आयु लगभग 11-13 वर्ष, 610 वृक्ष, आयु लगभग 06-07 वर्ष तथा 80 वृक्ष, आयु लगभग 04-06 वर्ष)
लाट सं०. 2	6बी, 6सी, 12बी	अमरुद: कुल 383 वृक्ष, आयु लगभग 09 वर्ष
लाट सं०. 3	96 नं०	अमरुद: कुल 791 वृक्ष (491 वृक्ष, आयु लगभग 08 वर्ष तथा 300 वृक्ष आयु लगभग 05-07 वर्ष)

अतः निदेशक शोध द्वारा संस्तुत प्रस्ताव एवं केन्द्र के लेखानुभाग की टीप के आधार पर प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 01 से 06 पर स्वीकृति प्रदान करना चाहें। विभाग द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाना।

Jul 1 2025 4:00:50:207PM

Action:Forward

JEEVAN SINGH MEHATA
(AssistantAccountant)



Through Profile Password

Routing Channel- JOINT DIRECTOR > DIRECTOR RESEARCH > COMPTROLLER > V.C.

Note # 9

Forwarded.

Jul 2 2025 12:10:49:020PM

Action:Forward

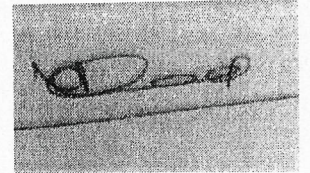
RAM SINGH
(Asstt.AccountsOfficer)

Verified
Through Profile Password

Routing Channel- JOINT DIRECTOR > DIRECTOR RESEARCH > COMPTROLLER > V.C.

Note # 10

Recommended and forwarded.



ABHA GARKHAL BOHRA
(Comptroller)

Verified
Through Profile Password

Routing Channel- JOINT DIRECTOR > DIRECTOR RESEARCH > COMPTROLLER > V.C.

Note # 11

Registrar

Madam,

As per order of the Hon'ble Vice-Chancellor, proposal is being submitted, please.

Transferred by PA

Jul 2 2025 4:47:33:110PM

Action:Forward

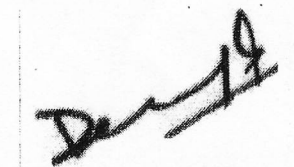
MANMOHAN SINGH CHAUHAN
(Vice Chacellor)

Verified
Through Profile Password

Routing Channel- JOINT DIRECTOR > DIRECTOR RESEARCH > COMPTROLLER > V.C.

Note # 12

Approved.



REGISTRAR
(Deepa Vinay)

Verified
Through Profile Password

Jul 3 2025 5:52:13:020PM

Action:Approved

Auth. Acctt
07/07/2025